International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 28-08-2022; Accepted: 14-09-2022; Published: 30-09-2022
Volume 8, Issue 5, 2022, Page No. 38-41

ग्रामीण भारत का वित्तीय समावेशन

नामिती कुमारी
शोधार्थी, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, ल0ना0मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

सरांश
वित्तीय समावेशन की दिशा में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब हम वित्तीय समावेशन के बारे में आम जन को जागरूक करें। साथ ही संबंधित सभी पक्षकारों को वित्तीय शिक्षा भी मुहैया कराएं। इसमें मीडिया को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। साथ ही वित्तीय शिक्षा देने वाले लक्ष्य समूह की पहचान कर इस दिशा में लघुकालीन और दीर्घकालीन रणनीति बनाने की जरूरत है। हमारी शुरूआत बच्चों से ही होनी चाहिए चूंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं। और यदि उन्हें शुरू से वित्तीय शिक्षा मुहैया कराई जाए तो इसका मतलब होगा कि हम देश के भावी वित्तीय साक्षर नागरिक तैयार कर रहे हैं।

मूल शब्दः वित्तीय समावेशन, ग्रामीण

प्रस्तावना
हमारे देश में वित्तीय समावेशन को प्रायः बैंक खातों तक पहुंच के रूप में देखा जाता है, जबकि इसमें बैंकिंग के अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे – पेंशन, बीमा एवं पूंजी बाजार के उत्पादों और सेवाओं से वंचित लोगों को उनकी परिधि में लाना भी भाामिल है। अन्य भाब्दों में, वित्तीय समावेशन का अर्थ अब तक वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों से वंचित रहे लोगों तक सुविधापूर्वक सरल तरीके से उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से निपटने मे जहां भारत सरकार और राज्य सरकारें अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत हैं, वहीं इन समस्याओं के समाधान में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की भी अहम भूमिका है। अपनी इस भूमिका को बैंक सशक्त तरीके से तभी निभा सकते हैं जब वे अपनी सेवाएं समाज के उस बड़े वर्ग तक पहुंचाए जो अब तक इनसे वंचित रहा है।
इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में बैंकिंग उद्योग ने पिछले कुछ दशकों में तेजी से प्रगति की है। बैंकों की भाखाओं में भारी वृद्धि हुई है तथा बैंकों की वित्तीय व्यवहार्यता, लाभप्रदत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में भी उल्लेखनीय सुधार आया है, पर चिंता की बात यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद समाज के एक बड़े वर्ग विशेष रूप से कम आय वाले लोगों और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंची है। इसी के मद्देनजर सरकार ने जन–धन योजना के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना भाुरू की ताकि वंचितों को वित्तीय सेवा तंत्र से जोड़ा जा सके। यह एक कारगर और सराहनीय पहल है। देश में सभी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए और देश की घरेलू बचत का रा ट्रीय स्तर पर लाभ लेने के उद्देश्य से 28 अगस्त, 2014 को इस रा ट्रव्यापी जन–धन योजना की भाुरूआत की गई। पहले चरण में करीब 7.15 करोड़ लोगों को बैंकों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। हालांकि 8 जुलाई, 2015 तक लक्ष्य से कहीं आगे बढ़कर 16.73 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिसमें से 10.1 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। 8 अगस्त, 2018 तक जन–धन योजना के तहत खोले गए कुल खातों की संख्या 32.33 करोड़ हो चुकी है जिसमें से 19.07 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। यह सुखद है। उल्लेखनीय है कि जन–धन योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 51 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के हैं जिसमें करीब 61 प्रतिशत खाते ग्रामीण महिलाओं के हैं। इससे पता चलता है कि वित्तीय समावेशन पहल से समाज में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण महिलाओं को फायदा पहुंचा है।
वित्तीय समावेशन की दिशा में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब हम वित्तीय समावेशन के बारे में आम जन को जागरूक करें। साथ ही संबंधित सभी पक्षकारों को वित्तीय शिक्षा भी मुहैया कराएं। इसमें मीडिया को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। साथ ही वित्तीय शिक्षा देने वाले लक्ष्य समूह की पहचान कर इस दिशा में लघुकालीन और दीर्घकालीन रणनीति बनाने की जरूरत है। हमारी शुरूआत बच्चों से ही होनी चाहिए चूंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य हैं। और यदि उन्हें शुरू से वित्तीय शिक्षा मुहैया कराई जाए तो इसका मतलब होगा कि हम देश के भावी वित्तीय साक्षर नागरिक तैयार कर रहे हैं।

वित्तीय समावेशनः वर्तमान स्थिति
भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल की गई थी जैसे – बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक भाखा नेटवर्क का विस्तार, सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना और विस्तार, पीएस ऋण की भाुरूआत, अग्रणी बैंक योजना, स्व–सहायता समूहों का गठन और एसएलबीसी द्वारा सरकार प्रायोजित योजनाओं के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित किया जाना है।
वर्ष 2005–2006 के लिए वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी कि वे वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के साथ अपनी नीतियों को समायोजित करें। बैंकों को सलाह दी गयी थी कि वे या तो 'शून्य' अथवा प्रभारों सहित बहुत कम भोश के साथ 'नो फ्रिल' मूल बैंकिंग खाते उपलब्ध करायें, ताकि लोगों के अधिकांश वर्गों के लिए इस प्रकार के खातों को सुलभ बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सेवाओं की पकड़ मजबूत बनाने और उन्हें विस्तार देने पर बल दिया गया है ताकि जनसंख्या के ग्रामीण एवं गरीब वर्गों के बड़े भाग को भाामिल किया जा सके।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2006 में व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्यों के साथ, जनहित में यह निर्णय लिया है कि व्यवसाय सुविधाप्रदाता और व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल के उपयोग के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवा प्रदान करने में एनजीओ/एसएचजी, एमएफआई और अन्य विविल सोसाइटी संगठनों की सेवाओं का उपयोग

मध्यवर्त्ती संस्थाओं के रूप में कर के बैंकों को सक्षम बनाया जाए।

जनगणना 2011 के अनुसार अनुमान है कि देश की 24.67 करोड़ परिवारों में से 14.48 करोड़ (58.7:) परिवारों की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक है। 16.78 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 9.14 करोड़ (54.46:) को बैंकिंग सेवाएं प्राप्त हो रही थी। 7.89 करोड़ भाहरी परिवारों में से 5.37 करोड़ (67.66:) परिवार बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर रहे थे।

वर्ष 2011 में बैंकों ने व्यवसाय प्रतिनिधियों के साथ 'स्वाभिमान' अभियान के अंतर्गत बैंकिंग सुविधाओं के साथ 2000 से अधिक जनसंख्या वाले (जनगणना 2001 के अनुसार), 74,351 ग्रामों को भाामिल किया था जैसा कि बाद में बताया गया। हालांकि, कार्यक्रम की पहुंच और उसका प्रभाव सीमित था।

देश के वर्तमान बैंकिंग नेटवर्क में 1,15,082 बैंक शाखा नेटवर्क और 1,60,055 एटीएम नेटवर्क भाामिल है। इनमें से 43,962 भााखाएं (38.2:) और 23,334 एटीएम (14.58:) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 1.4 लाख व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। बैंक के प्रतिनिधि बुनियादी बैंकिंग सेवाएं अर्थात् मूल बैंक खाता खोलने, नकदी जमा, नकदी आहरण, निधियों का अंतरण, भोश संबंधी पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट आदि उपलब्ध कराते हैं। हालांकि, वास्तविक फील्ड स्तर के अनुभव बताते हैं कि इन प्रतिनिधियों में से कई वास्तव में काम नहीं करते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उच्चतम स्तर पर वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को अपनाए जाने को प्रोत्साहित करता है और व्यापारिक बैंक भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिर्पोट 17 फरवरी, 2018 के अनुसार देश में व्यापारिक बैंकों की भााखाओं की अद्यतन स्थिति नीचे तालिका 1 में इस प्रकार है :–

तालिका 1

व्यापारिक बैंक एक नजर में			
व्यापारिक बैंकों की भााखाएं	**दिसम्बर–2017**	**सितम्बर–2017**	**जून–2017**
ग्रामीण क्षेत्र	49143	49022	48774
अर्ध– ाहरी क्षेत्र	38281	38120	38230
भाहरी क्षेत्र	25201	25067	25131
महानगरीय क्षेत्र	26850	26835	27105
समग्र	139475	139044	139240

गाँवों, भाहरी, महानगरीय क्षेत्रों में निरन्तर बैंकिंग भााखाओं व बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। जिसके कारण वित्तीय समावे ान तथा डिजिटल लेनदेन का वातावरण फैल रहा है।

वित्तीय समावेशन में बैंकों की भूमिका

वित्तीय विकासीय प्रयोजन की पहली मौलिक आवश्यकता है क्योंकि विकास के बुनियादी ढ़ांचे का निर्माण वित्तीय सामर्थ्य पर निर्भर करता है। वित्त की सर्वांगीण सुलभता ही विकास को त्वरित और अर्थव्यवस्था को समावेशी बनाती है जिसमें संस्थागत वित्त आत्पनिर्भरता, उद्यमवृत्ति और स्वरोजगार का सबसे विश्वसनीय साधन माना जाता है लेकिन संस्थागत वित्त की सर्वंगीण सुलभता में हमारा अर्थतंत्र अभी भी विकास की कि ाोरावस्था के दौर से गुजर रहा है और वित्तीय व्यापकता, वित्तीय साक्षरता व समावे ाीपन के तमाम प्रयासों के बावजूद देश की वित्त व्यवस्था पहुंच, पर्याप्तता और पारदर्शिता के अभाव से ग्रसित है जिससे वित्तीय समावे ान की तमाम कोशिशें दम तोड़ती दिखने लगी है। ऐसा भी नहीं है कि देश में संस्थागत वित्त के लिए बैंकिंग व्यवस्था या उनके द्वारा सृजित सेवाओं को आम जन तक ईमानदारी से पहुंचाने का प्रयास नहीं किया गया है बल्कि यहां तो बैंकिंग प्रणाली का विकास ही मूलतः व्यावसायिक क्षेत्रक उद्योगों एवं व्यापार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में हुआ है।

बैंकिंग व्यवस्था को जनोन्मुखी बनाने के लिए पहले भारतीय रिजर्व बैंक का और फिर भारतीय स्टे बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बावजूद जब यह महसूस हुआ कि आजादी के बाद के आरम्भिक दो द ाकों तक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र–कृषि एवं सहायक क्रियाएं, बैंकिंग सहायता पाने से करीब वंचित ही रहा है तो एक कठोर निर्णय के तहत देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का रा ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी जमाएं 50 करोड़ रूपये से अधिक थी तथा एक द ाक बाद पुनः 6 उन निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमाराशि 200 करोड़ रूपये से अधिक थी जिससे बैंकिंग व्यवस्था को सतही व जनहितैशी बनाने के साथ सरकार की वित्तीय सुविधाओं को जन–सामान्य तक पहुंचाना आसान हो गया।

शुरूआती दौर में इन बैंकों की भूमिका विकास की सघनता में कमतर ही रही है और तत्कालीन सर्वक्षणों व विश्ले ाणों से यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीयकरण बैंकिंग व्यवस्था, प्रसिद्धि, पहुंच और प्रभावशाली व्यक्तियों, समूहों और उद्योगों तक अपने को सीमित किए हुए हैं। कृषि, ग्रामीण विकास, लघु एवं कुटीर उद्योग और पिछड़े समूह इसकी पहुंच से दूर हैं। इसके समाधान हेतु जनपद स्तर पर 1969 में 'अग्रणी बैंक योजना' आरम्भ की गई जिसके तहत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक को 'लीड बैंक' घोषित कर दिया जाता है जिसका जिला–स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, विशिष्ट कार्यक्रमों हेतु जिले में सक्रिय अन्य सभी बैंकों का सहयोग लेने व निश्चित कार्यक्रमों के लिए ऋण जुटाने में सभी वित्तीय संस्थाओं का समन्वय कायम करने का प्रयास रहता है। इसी के साथ निचले स्तर पर वित्तीय सघनता विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने और समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 1975 को क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गयी जो वर्तमान में सिक्किम व गोवा के अलावा सभी राज्यों में कार्यरत हैं। इसकी ग्रामीण भााखाएं कुल ग्रामीण साख में 37 प्रतिशत का योगदान देती है लेकिन इन बैंकों पर वित्तपोषण का संकट निरंतर हावी रहा है जिससे ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति में नाकाफी सिद्ध हुए हैं।

वित्तीय समावेशन में बैंकों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं अनपढ़ लोगों को बैंकों से सम्बद्ध करने का कार्य बैंकों द्वारा ही सम्भव है। इसके लिए बैंकों के साथ–साथ डाकघर, गैर–सरकारी संगठनों एवं स्वयंसहायता समूह का भी सहारा लिया जा सकता है। बैंक, वित्तीय समावेशन की मुहिम में, ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों की जानकारी देकर, बैंकिंग सेवाओं के सही एवं उचित उपयोग हेतु प्रशिक्षित कर, बचत के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही धन प्रबंधन और ऋण संबंधी सलाह तथा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर सहयोग कर सकते हैं। सही तो यह है कि वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाने के लिए बैंकों को विशिष्ट नीतियां बनानी होंगी और अधिकाधिक नो–फ्रिल खाते खोलकर ग्राहकों को आकर्षित करना होगा। बैंक, ग्रामीण भााखाओं का विस्तार, मानव संसाधन में वृद्धि, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बैंककर्मियों की भर्ती, ग्रामीणों के अनुरूप वित्तीय उत्पाद, ग्रामीणों के प्रति सहयोग का रवैया, प्रौघेगिकी सम्बन्धी समस्या का निवारण कर, वित्तीय समावेशन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बैंकों को क्षेत्र अथवा गांव बांटकर एवं स्थानीय लोगों का सहारा लेकर भून्य शेष पर खाता खोलने होंगे और प्रचार–प्रसार करना होगा।

ग्रामीण वित्तीय समावेशन की बाधाएँ

यह एक सर्वसुलभ तथ्य है कि भारत की जनसंख्या की आधी से अधिक आबादी का संकेन्द्रण ग्रामीण इलाकों में है। यहां आजीविका का प्रमुख साधन कृषि और पशुपालन है। हमारी आबादी का 80 प्रति ात भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, और यह भी उतना ही साफ है कि इनके अस्तित्व को बनाए रखना आज समाज व अर्थव्यवस्था के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 40 प्रतिशत किसान खेती छोड़कर कोई वैकल्पिक व्यवसाय करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इन इलाकों मे वित्तीय समावेशन को सही तरीके से लागू किया जाए, तो किसानों को खून चूसने वाले महाजनों व साहूकारों के अत्यन्त ऊँचे ऋण के अन्तहीन दुश्चक्र से मुक्ति मिलेगी। इस बात में भी कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश में बैंकिंग उद्योग में विगत वर्षों में बहुत तेजी से परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं, किन्तु हम बैंकिंग क्षेत्र में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूर्ण एवं सार्थक प्रयास नहीं कर पाए हैं, और वित्तीय समावे ान की आवश्यकता को महसूस करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावे ान की प्रमुख बाधाएं निम्न हैं –

- ग्रामीण एवं पिछड़े छेत्र में बैंकों की भाखाएं नहीं खोली गई है। निजी एवं विदेशी बैंकों द्वारा इन क्षेत्रों में प्रदर्शन लगभग नगण्य है।
- बैंकों द्वारा खाता संचालित करने हेतु ऐसी भार्तें लगाना, जिससे गरीब और समाज के कमजोर वर्ग के लोग न तो खाता खोलने की सोचते हैं और नही उसको चलाने में समर्थ हो पाते हैं। जैसे खाते में अधिक भोश की बाध्यता, एटीएम, एसएमएस एवं सेवा प्रभारों की अधिकता एवं अनिवार्यता आदि।
- ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में बैंक की बुनियादी एवं ढ़ांचागत सुविधाओं की आज भी कमी है।
- गरीबी एवं अशिक्षा के चलते कर्ज लेकर गरीब लोग कुछ व्यापार या रोजगार तो चला सकते हैं, किन्तु बचत में कमी के चलते वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।
- आज भी गांव के गरीब व्यक्ति भाहरों में आकर बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के कार्यालयों में उनके अधिकारी एवं कर्मचारी से मिलने में संकोच करते हैं। अतः इन्हें बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं की पूरी जानकारी नहीं हो पाती।
- अशिक्षित, गरीब एवं ग्रामीण व्यक्तियों को सरकार द्वारा उनके लिये बनायी एवं लागू की गई योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती, साथ ही इन योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव में, आज भी बैंकों के प्रति पूर्ण विश्वास न होने के कारण बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जाता, इसलिए वे लोग खाता खोलने में संकोच करते हैं।
- बैंकों का उद्देश्य लाभ पर आधारित हो गया है। अतः बैंक ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अपनी भाखाएं खोलने में संकोच करते हैं।
- अति पिछड़े, कठिन एवं दूरस्थ क्षेत्र में धन एवं बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा का अभाव रहता है।
- बैंक के कर्मचारी एवं अधिकारी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में तैनाती नहीं चाहते और वहां पर पूर्ण क्षमता के साथ कार्य भी नहीं करते, क्योंकि इन भाखाओं में तैनात स्टाफ को निम्न गुणवत्ता वाला समझा जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए बैंक का कार्य समय उपयुक्त नहीं समझा जाता।
- वित्तीय समावेशन में बैंक स्टाफ के सम्मुख ग्रामीण क्षेत्रों में भाशा एवं अधिक दूरी पर स्थानान्तरण की समस्या एक बाधा पैदा करती है।
- बैंकों में मुख्यतः ग्रामीणों के लिए वांछित उत्पाद भी उपलब्ध नहीं हो पाते।
- पिछड़े क्षेत्रों में बैंक भाखाओं की आपसी दूरी की अधिकता भी वित्तीय समावेशनप में बाधा का काम करती है।

ग्रामीण वित्तीय समावेशन को सफल बनाने सम्बन्धी सुझाव

वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बैंक जनता की बचत को एकत्रित कर, ऋण के रूप में प्रदान कर, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं और देश के आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। अतः वित्तीय समावेशन में बैंकों को सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा को अपनाना होगा। भले ही भारूआती दौर में बैंकों को अधिक लाभ न हो किन्तु कुछ समय पश्चात् बैंकों को भरपूर लाभप्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। यह तो निश्चित है कि बैंक यह कार्य आधारभूत बैंकिंग के सहारे नहीं कर सकते हैं। अतः बैंकों को ऐसी तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी अपनानी होगी, जिसके सहारे पिछड़े क्षेत्रों में भी प्रवेश कर, कम लागत पर लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सकें। गांव के गरीब लोगों के लिए ऐसे उत्पाद विकसित किए जा सकते हैं, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अतः वित्तीय समावे ान को सफल बनाने के लिए निम्न सुझाव हो सकते हैं –

- वित्तीय समावेशन हेतु पिछड़े क्षेत्रों को सर्वप्रथम चुना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर ग्राहक बैंकिंग सुविधाओं को अपनाने में आनाकानी नहीं करते हैं।
- वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत परिवार में कई–कई खाते न खोले जाएं, बल्कि परिवार के कर्त्ता का खाता सर्वप्रथम खोला जाए और उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही वित्तीय उत्पाद भी विकसित किए जाएं।
- बैंकों द्वारा सभी खोले जानेवाले खातों को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जाए, ताकि ग्राहक एक से अधिक खाते खोलकर बैंक के कार्य को अनावश्यक रूप से न बढ़ाएं और कर चोरी को भी रोका जा सके।
- वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत ग्राहकों को जानकारी उनकी क्षेत्रीय भाशा में प्रदान की जाए।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम कृषि प्रशिक्षण केन्द्र, ब्लॉक, तहसील, स्कूल एवं कॉलेज के माध्यम से लागू किया जाए।
- वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत महिलाओं के लिए खास महिला बैंको का विस्तार किया जाए।
- वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए किसानो को किए जाने वाले सभी भुगतान, छात्रवृत्तियां, पें ान आदि बैंक के माध्यम से ही भुगतान की जाएं।
- वित्तीय समावेशन के प्रचार–प्रसार के लिए कृषि मेंलो का आयोजन कर ग्राहकों में जागरूकता फैलायी जाए।
- वित्तीय समावेशन हेतु डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, वैज्ञानिक, बैंककर्मी, व्यापी व प्रशासन का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि ये सभी जनता से सीधे सम्पर्क में रहते हैं।
- दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत वाले सौर ऊर्जाचलित बायोमैट्रिक एटीएम लगाए जाएं। इससे रूपे डेबिट कार्डों का उपयोग भी बढ़ेगा और प्रौद्योगिकी का लाभ निचले स्तर तक पहुंचेगा।
- वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बैंक भाखाओं का लक्ष्य निर्धारित किया जाए, ताकि जिन लोगों ने बैंक खाते नहीं खोले हैं, उनके खाते खोले जा सकें।

- ग्रामीण भााखाओं में बैंक की कार्यप्रणाली को आसान बनाया जाए तथा एक बैंककर्मी ग्राहकों के फार्म भरने तथा सम्बन्धित जानकारी देने हेतु पूछताछ कक्ष पर कार्य ाील घंटों में उपलब्ध रहे।
- बैंकों को चाहिए कि अविकसित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हेतु गैर–सरकारी संगठनों की भी सहायता ली जाए और एक अभियान चलाकर लोगों को बैंकिंग गतिविधियों से जोड़ा जाए।
- बैंकों को चाहिए कि जहां सम्भावनाएं हैं और मध्यस्थ नहीं है, वहां ग्राहकों से सीधे सम्पर्क कर बैंक सेवाएं प्रदान करें।
- बैंको को चाहिए कि वेशेषज्ञों की सहायता से वित्तीय समावेशन के उन्नत मॉडल विकसित करें ताकि कम लागत पर लोगों को वित्तीय सुविधाएं मुहैया करायी जा सकें।

निष्कर्ष

वित्तीय समावेशन सरकार की एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है क्योंकि यह समावेशी विकास को सुकर बनाती है। वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गरीबों को अपनी बचत औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने की सुविधा, गांवों में अपने परिवारों को धनराशि भेजने की सुविधा उपलब्ध कराता है जिससे वे सूदखोर साहूकारों के चंगुल से बाहर निकल पाने में समर्थ होते हैं। भारत में वित्तीय रूप से वंचित वर्ग को भाामिल करने का प्रयास नया नहीं है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में आरम्भ किए गए अभियान में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले (2001 की जनगणना के अनुसार) लगभग 74,000 गावों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी।

वित्तीय समावेशन के द्वारा देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबी, बेरोजगारी एवं ऋणग्रस्तता की समस्याओं का सामना बेहतर रूप से किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन की अपार सम्भावनाएं हैं। यदि आज प्रारम्भिक दौर में हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आर्थिक क्रियाकलापों से जोड़ पाएं तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। वित्तीय समावेशन की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब हम वित्तीय समावे ान से सम्बन्धित सभी पक्षकारों को वित्तीय शिक्षा मुहैया कराएं। इससे उनको वित्तीय उत्पादों को समझने में मदद मिलेगी और वे इसमें होने वाले जोखिम और लाभ का विश्लेषण स्वयं कर सकेंगे। इस प्रकार वित्तीय समावेशन एक सामाजिक क्रांति है, जो अबतक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित, असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के जीवन–स्तर में सुधार लाते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी के साथ–साथ समग्र वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। यदि वित्तीय समावेशन को निष्ठा और उत्साहपूर्वक लागू किया गया, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बैंकों के रा ट्रीयकरण के बाद दूसरी क्रांति के रूप में उभरेगा। वित्तीय समावे ान ग्रामीण विकास की दशा में एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है और ग्रामीणो को बचत, ऋण, निवेश, पेंशन, बीमा इत्यादि के लाभ से अवगत कराता है। ग्रामीण वित्तीय तंत्र का हिस्सा बनकर, सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं, जैसे – भारत निर्माण, मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि का उचित लाभ उठा सकेंगे। बस आवश्यकता इस बात की है कि सरकार द्वारा चलायी जा रही वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित सभी योजनओं को, इससे सम्बन्धित सभी पक्ष, अपनी सोच में बदलाव लाकर समर्पण की भावना एवं प्रतिबद्धता के साथ लागू करें, तभी हम इस मुहिम में सफल हो पाएंगे और सरकार का सपना भी साकार हो पाएगा, जो एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में चलाया जा रहा है।

सन्दर्भ सूची

1. www.censusindia.gov.in
2. सिन्हा, शिशिर (2018), वित्तीय समावेशनः गाँवों की तरक्की का आधार, कुरूक्षेत्र, वर्ष 64, अंक 11, सितंबर, पृष्ठ 22
3. सिंह, सतीश (2015), वित्तीय समावेशन की राह की मुश्किलें, कुरूक्षेत्र, वर्ष 61, अंक 10, अगस्त, पृष्ठ 29
4. वित्तीय समावेशन के लिए गठित रंगराजन समिति 2008 की रिपोर्ट www.rbi.org